विवरण 2ख

सं. अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 के बीच में व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2019-20 के लिए व्यय का बजट अनुमान संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹ 3,29,114 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की बड़ी मदें, जहां अन्तर आये हैं, नीचे दर्शायी गई हैं:

(₹ करोड़)

		सं.अ. 2018-19	ब.अ. 2019-20	अन्तर बचत(-)/ अधिक(+)
1	राज्यों को अनुदान और ऋण	391128	465091	(+) 73963
2	ब्याज भुगतान	587570	660471	(+) 72901
3	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	67800	130485	(+) 62685
4	अन्य सब्सिडियां	109136	131829	(+) 22693
5	रक्षा	285423	305296	(+) 19873
6	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	193105	207388	(+) 14283
7	खाद्य सब्सिडी	171298	184220	(+) 12922
8	पेंशन	166618	174300	(+) 7682
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	21318	28104	(+) 6786
10	पुलिस	80739	85115	(+) 4376
11	शिक्षा	41211	45013	(+) 3802
12	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	8310	10028	(+) 1718
13	अन्य व्यय	333579	359009	(+) 25430
	कुल व्यय	**2457235**	**2786349**	**(+) 329114**

वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुईः-

1. जीएसटी लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति के तहत अधिक आवश्यकता, ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान और समग्र शिक्षा के तहत निर्गम।
2. बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान, क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, अर्थोपाय अग्रिम, विदेशी ऋण पर ब्याज और पीएसबी को जारी पुनः पूंजीकरण बांडों पर ब्याज।
3. जोत योग्य भूस्वामी किसानों के परिवारों को आय सहायता देने के लिए आय समर्थन स्कीम के तहत अधिक आवश्यकता।
4. बाजार हस्तक्षेप स्कीम, उर्वरक सब्सिडी मूल्य समर्थन स्कीम के तहत अधिक आवश्यकता।
5. रक्षा सेवाओं के वेतन और भत्तों और कार्यचालन व्यय के तहत अधिक आवश्यकता।
6. आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय संस्थाओं में निवेश, मेट्रो परियोजनाओं के लिए पास थ्रू सहायता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा सड़कों और रेलवे के निर्माण के पूंजी व्यय हेतु अधिक आवश्यकता।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिक आवश्यकता।
8. रक्षा पेंशन के लिए अधिक आवश्यकता।
9. राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अधिक आवश्यकता।
10. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक व्यय के तहत अधिक आवश्यकता।
11. अनुसंधान और नवोन्मेष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए अधिक आवश्यकता।
12. जीएसटी लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के तहत अधिक आवश्यकता।